

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ० सं०-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-19/2018.....

20
16/1/19

कार्यालय आदेश

प्रायः कार्यपालक अभियंताओं द्वारा संवेदकों को डिबार किये जाने संबंधी सूचना विभागीय मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। इस संबंध में आपको पूर्व में भी निदेशित किया जा चुका है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों में जिन संवेदकों को डिबार किया गया है, उनकी सूची अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये। साथ ही उक्त सूची विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाय।

भविष्य में भी किसी संवेदक को डिबार करते ही उसकी सूचना विभागीय मुख्यालय को देने के साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः
16/1/19

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पटना, दिनांक:- 16/1/19

ज्ञापांक:- 571 (अ)

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अतः
16/1/19

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पटना, दिनांक:- 16/1/19

ज्ञापांक:- 571 (अ)

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अतः
16/1/19

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

अतः
16/1/19